

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री गशार्थ शेखर, आई.ए.एस

क्रमांक रीडर/2025/ 9592

प्रार्थी

बनाग

अप्रार्थीगण

दिनांक - 08.12.25

1 खेराजराम पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी लुखो का तला पटवार क्षेत्र सरली तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

1 रामसिंह पुत्र सतीदानसिंह वगैराह जाति राजपुत निवासी लुखो का तला, तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान शू-राजरव अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत राजरव आवेदन संख्या :- 515/2025

दिनांक- 28/11/2025

## आदेश

उपर्युक्त प्रकरण गौजा लुखो का तला पटवार हल्का सरली तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 1119/1007 रकबा 13.0309 हैक्टेयर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगद्दी नहीं करने बाबत राजरव विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(गशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी  
बाड़मेर

दिनांक- 08.12.25

क्रमांक :- रीडर/2025/ 9593 -96

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी सरली तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावे।
3. प्रार्थी खेराजराम पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी लुखो का तला पटवार क्षेत्र सरली तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर
4. विप्रार्थीगण रामसिंह पुत्र सतीदानसिंह वगैराह जाति राजपुत निवासी लुखो का तला, तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी  
बाड़मेर

